फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

[illegible] : श्री लालुराम
[illegible] मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम
बनाम
विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर
पत्रावली संख्या : 95 / 23

दिनांक 20.08.2025

कार्यवाही विवरण

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा खरडीदा पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में खाता संख्या 316 के साबिक आराजी न. 107 / 20 कुल किता 1 रकबा 5 बिघा कृषि भूमि श्री रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल मेनारिया एवं श्री रामलाल पिता रतनलाल नाई निवासी रूण्डेडा से हम प्रार्थीगण ने सम्पूर्ण जमीन दिनांक 18.09.2019 को खरीद ली गई है रजिस्ट्री के पश्चात से प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा होकर आज दिन तक काश्त करते चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण के नाम से अंकित है। यह कि खाता संख्या 316 के साबिक आराजी न. 107 / 20 कुल किता 1 रकबा 5 बिघा कृषि भूमि का नवीन सेटलमेंट हुआ जिसके खाता संख्या नया 329 पुराना 97 के खसरा संख्या 388 कुल किता 1 रकबा 0.7800 है. के रूप में श्री रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल जी मेनारिया 1 / 2 एवं श्री रामलाल पिता रतनलाल जी नाई 1 / 2 निवासी रूण्डेडा के नाम पर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई उनके पश्चात् हम प्रार्थीगण के नाम पर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। यह कि नवीन सेटलमेंट में राजस्व अधिकारियों द्वारा केवल मात्र 0.7800 है. भूमि ही दर्ज की है जो पुराने रेकर्ड के अनुसार कम है। नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक आराजी सं. 107 / 20 रकबा 5 बिघा के हिसाब से नवीन सेटलमेंट की आराजी संख्या 388 में रकबा 0.7800 है. के बजाय 1.0800 है. के रूप में दर्ज करना चाहिये था जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा 0.3000 कम कर दिया जिसे प्रार्थीगण की भूमि कम हो गई है जिसका सुधार किया जाना न्यायहित में अत्यत आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा साबिक रेकर्ड अनुसार किये शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि राजस्व ग्राम खरडीदा की साबिक आ.न. 107 / 20 रकबा 5 बिघा जमाबंदी सम्वत् 2036–39 में खाता संख्या 276 में लहरपुरी पिता नारूपुरी गुसाई नि. शोपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड थी जो कि सम्वत् 2041–44, 2045–48, 2048–52 में लहरपुरी के आ.न. 107 / 20 रकबा 5 बिघा दर्ज थी। उक्त आ.न. 107 / 20 रकबा 5 बिघा लहरपुरी द्वारा श्री रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल मेनारिया 1 / 2, रामलाल पिता रतनलाल नाई 1 / 2 सा. रूण्डेडा को विक्रय की गयी। राजस्व ग्राम खरडौदा की जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 316 में साबिक आ.न. 107 / 20 रकबा 5 बिघा के नये आ.न. 388 रकबा 0.7800 है. बन। जबकि रकबा 1.08 है. होना चाहिए था। श्री रामेश्वरलाल पिता बद्रीलाल मेनारिया व रामलाल पिता रतनलाल नाई सा. रूण्डेडा से साबिक आ.न. 107 [illegible] रकबा 5 बिघा श्री रामलाल पिता भेरा नाई, लालूराम पिता भेरा नाई, शंकरलाल पि[illegible] [illegible]वली का खंडो ने खरीदी। कार्यालय हाजा में उपलब्ध पुराने नक्शों में साबिक आ.न. [illegible] है। इस[illegible] में प्रार्थी को आवंटन पत्रावली का नक्शा प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया [illegible]या था। इसके बाद [illegible]रा श्रीमान के कार्यालय में आवंटन पत्रावली व नक्शा प्रस्तुत किया गया। उक्त आवंटन पत्रावली के नक्शों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:23 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर राजस्व ग्राम खरडीदा की आ.न. 387 रकबा 0.4500 है किस्म बिलानाम है मे से 0.3000 है प्रार्थीगण श्री रामलाल पिता भेरा नाई, लालूराम पिता भेरा नाई, शंकरलाल पिता ... निवासी चावलों का खेड़ा के नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तावित की जाती है। तहसीलदार भीण्डर ... बताया कि आ.न. 387 के सानिक आ.न. 107 थी थे। प्रस्तावित आ.न. 387 रकबा 0.3000 है ... किसी का कब्जा नही है। प्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा किसी प्रकार के विवाद की जानकारी ...

हमने पाया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. ... अधिनियम के तहत पेश कर नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा कम हो ... कहा है इस संबंध में प्रार्थी द्वारा आवंटन पत्रावली भी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार भीण्डर ... अपनी रिपोर्ट में नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 388 का रकबा 0.7800 है ... है जो जमाबंदी से भी स्पष्ट है साथ ही यह भी बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा 1.0800 ... होना चाहिये था। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बिलानाम आराजी न. 387 रकबा 0.45... भूमि में से 0.3000 है. भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भूमि राजस्व अधिनियम का पेश किया गया ... रोटशन के दौरान हुई लिपिकिय त्रुटियों व तरमीम को सुधारे जाने का प्रावधान है। प्रार्थनाग्रस्त ... हुये रकबे की कमी पूर्ति बिना साक्ष्य सबुतो के आधार पर नहीं की जा सकती है। धारा 131 ... राजस्व अधिनियम में रोटशन के दौरान हुई लिपिकिय त्रुटियों व तरमीम को ही सुधारा जाता है ... प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नहीं दि... सकता। अतः प्रार्थी के वाद प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ... 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम ... अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:23 IST
Reason: SelfAttested